

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

सी.ए. सुधीर हालाखंडी - जी.एस.टी.



आइये समझे जी.एस.टी. को

भाग -7

छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए

दिनांक 22 अप्रैल 2017

98280-67256

जी.एस.टी. के दौरान क्या होंगे ईवे-बिल (इलेक्ट्रॉनिक

वे बिल)जारी करने प्रावधान

क्या होगा वे-बिल



लीजिये फिर आ गया रोड परमिट

जी.एस.टी. के दौरान एक प्रावधान वे- बिल जारी करने के सम्बन्ध में है जिसका कि ड्राफ्ट रूल जारी किया गया है उससे व्यापारी वर्ग एवं डीलर्स में एक बहुत बड़ी हलचल है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो इस समय जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं पर लागू है और दूसरा इसकी सीमा केवल 50000.00 रुपये है जो कि व्यापार और उद्योग जगत के हिसाब से बहुत कम है .

आइये देखें कि यह प्रावधान क्या है और आपसे विस्तार से चर्चा करें कि वे बिल को लेकर आपकी जो आशंकाएं हैं वो कितनी सच हैं और अब सरकार को वास्तव में इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए . इस सम्बन्ध में आपके सवाल भी हैं आइये पहले उन्हें पहले ले लेते हैं :-

प्रश्न :-

क्या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल अभी जारी रोड परमिट की तरह ही है ?

क्या यह केवल दो राज्यों के बीच व्यापार पर ही लागू होगा या राज्य के भीतर बिक्री पर भी लागू होगा ?

सी.ए.सुधीर हालाखंडी:-

हाँ आप यह मान सकते हैं कि यह एक तरह से रोड परमिट ही है . लेकिन अभी तक जारी रोड परमिट जारी है वे दो राज्यों के बीच हुए व्यापार में ही लागू होते हैं और कई राज्यों में यह केवल विशिष्ट

वस्तुओं पर ही लागू है लेकिन ईवे-बिल राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों बिक्री पर लागू है और सभी वस्तुओं पर लागू होगा .

व्यापार एवं उद्योग जगत की यह उम्मीद थी कि जी.एस.टी. के दौरान रोड परमिट नाम की कोई बाधा नहीं होगी लेकिन उनकी यह उम्मीद तो पूरी नहीं हुई बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है .

प्रश्न :-

इस फॉर्म को किस रकम के बिल पर जारी करना होगा

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

50000.00 रुपये से अधिक के प्रत्येक जिसमें माल का मूवमेंट हो रहा है उस पर यह इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करना होगा चाहे यह मूवमेंट माल की सप्लाई के लिए हो या किसी और कारण से.

आप यह मान कर चले कि 50000.00 रुपये से अधिक का माल बिना इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के मूव नहीं कर पायेगा. अब आप इस मूव का अर्थ मॉल को बेचना और भेजना दोनों ही लगा सकते हैं और चूँकि यह मूव सप्लाई के अलावा भी सारे माल के मूवमेंट को कवर करता है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार 50000.00 रुपये के अधिक के माल के हर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करना होगा .

प्रश्न :-

ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल कहाँ से जारी होगा ?

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल से जारी होगा और आपको इसे कंप्यूटर और इन्टरनेट की मदद से जारी करना होगा. इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के लिए बिल/ चालान की विगत तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद या तो आप या आपका या खरीददार का ट्रांसपोर्टर आप द्वारा बिल की अपलोड की गई विगत से इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करेंगे .

प्रश्न :-

क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल रास्ते में भी चेक होगा .

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

हाँ इसे चेक करने की प्रावधान भी बनाये गए है और यह राज्य के भीतर और राज्य के बाहर जहाँ भी माल का मूवमेंट होगा वहाँ इसे अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सकता है .

एक राज्य में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल एवं माल वाहन एक ही बार चेक होगा और कर चोरी की पुख्ता जानकारी होने पर ही इस दूसरी बार चेक किया जा सकता है . दो राज्यों की बीच व्यापार में इसे रास्ते में पड़ने वाले हर राज्य में चेक किया जा सकेगा.

प्रश्न :-

क्या इस चेकिंग के दौरान समय की बर्बादी रोकने के लिए कोई उपाय किये गए है .

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

हाँ इस प्रावधान की एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका माल वाहन किसी एक जगह पर चेकिंग के दौरान 30 मिनिट से अधिक रोका जाता है तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर इसकी सूचना को अपलोड कर सकते है .

इस सूचना के बाद क्या होगा यह तो अभी घोषित नहीं है लेकिन इस प्रावधान से अधिकारियों पर रोके गए हर वाहन को 30 मिनिट में छोड़ने का नैतिक दबाव तो रहेगा ही. इस समय कई बार चेकिंग के दौरान माल वाहनों को कई घंटो तक रुकना होता है .

प्रश्न :-

क्या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल को काम में लेने की कोई निश्चित अवधि होगी या एक बार जारी होने के बाद इसे कभी भी काम में लिया जा सकेगा.

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल को काम में लेने की एक निश्चित अवधि है और इस अवधि के कारण व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर प् एक अतिरिक्त

जिम्मेदारी आ जाती है वे एक निश्चित अवधि में माल को डिलीवर करे दे .

आइये इस अवधि को भी देख लें :-

क्र.स.	दूरी (जिस स्थान से माल प्रारम्भ होकर जहां तक पहुंचना है)	इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की वैधता की अवधि
1.	100 कि.मी.से कम	एक दिन
2.	100 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 300 कि.मी. से कम	तीन दिन
3.	300 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 500 कि.मी. से कम	पांच दिन
4.	500 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 1000 कि.मी. से कम	दस दिन
5.	1000 कि.मी. या इससे अधिक	15 दिन

प्रश्न :-

यदि एक इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी किया गया है लेकिन वह माल बेचा जाना निरस्त हो गया है तो क्या यह इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल कैंसिल किया जा सकता है ?

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी किये जाने के 24 घंटे के भीतर इसे केंसिल किया जा सकता है .

प्रश्न :-

इस प्रावधान में जो RFID तकनीक के बारे में जिक्र किया गया है क्या उसे सभी माल - वाहनों पर लगाना होगा ? यह तकनीक क्या है कृपया सरल शब्दों में बताएं .

सी.ए. सुधीर हालाखंडी :-

ट्रांसपोर्टर यदि इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की एक कॉपी अपने पास रखता है तो उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन यदि इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की हार्ड कॉपी नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर को RFID तकनीक के जरिये ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल चेक कराना होगा.

लेकिन RFID तकनीक का इसलिए महत्व है कि इसी प्रावधान में एक व्यवस्था यह भी है कि कि जी.एस.टी. कमीशनर एक अधिसूचना के तहत “ कुछ प्रकार के” ट्रांसपोर्टरस को यह तकनीक अपने वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर सकते हैं . इसलिए इस तकनीक का अर्थ समझाना जरूरी है . आइये देखे ये Radio Frequency Indetificatio Device का क्या अर्थ है :-



रेडियो-आवृत्ति पहचान (अंग्रेज़ी: Radio-frequency identification) एक तकनीक का उपयोग है (आमतौर पर एक RFID टैग के रूप में संदर्भित) जिसे एक उत्पाद , पशु, या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया या डाला जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार से पढ़ा जा सकता है।

संभार-तन्त्र और परिवहन , RFID प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए , यार्ड प्रबंधन, शिपिंग और माल ढुलाई और वितरण केन्द्र , कुछ ऐसी जगहें हैं RFID ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर की परिवहन कंपनियां , व्यापार मूल्य और कार्यकुशलता पर RFID प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण इसको तवज्जो देती हैं।

प्रश्न :-

अब एक आखिरी प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के सम्बन्ध में :-

आप जी.एस.टी. का अध्ययन काफी वर्षों से कर रहे हैं क्या आपको इस तरह के रोड परमिट के आने की आशंका थी ? आप इस प्रावधान को किस तरह से देखते हैं ?

सी.ए. सुधीर हालाखंडी

अभी तक इस तरह के वे-बिल सो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर ही लागू थे लेकिन इस प्रावधान से इसे काफी व्यापक कर दिया गया है और राशि 50 हजार भी काफी कम है और जिस तरह से यह प्रावधान बनाये जा रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं एवं हरेक मूवमेंट पर लागू हो जाएगा .

जी.एस.टी. से व्यापार एवं उद्योग को सरलीकरण की एक उम्मीद थी और इस तरह के प्रावधान इस उम्मीद को समाप्त कर रहे हैं इसलिए ये प्रावधान किसी भी तरह से स्वागत योग्य नहीं है लेकिन अगर सरकार ऐसे प्रावधान बना ही रही है तो आपको इनका पालन करना ही होगा.

पिछले लेख में भी हमने आपको बताया था कि इसके लिए हमने एवं कई उद्योग एवं व्यापारिक संघठनों ने इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रूपये करने का अनुरोध किया है.

समाप्त

E-mail ID Sudhirhalakhandi@gmail.com

Visit our GST face book page:-

<https://www.facebook.com/Goods-and-Service-Tax-Ca-Sudhir-Halakhandi-855899974452868/>

व्हाट्स एप्प के लिए प्रयोग करें

98280-67256 (लेख में त्रुटियों की सूचना भी देने का कष्ट करें)

कृपया फोन पर संपर्क नहीं करें एवं व्हाट्स एप्प पर भी गुड मोर्निंग एवं मोटिवेशनल मेसेजेस ना भेजें .

शीघ्र ही आप ये लेख देख सकेंगे हमारी वेब साईट पर :-

www.halakhandi.com

